संख्या-४०२/VI/2014-04(07)/2014

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 देहरादून दिनांक ०8 मई, 2014

विषयः-उत्तराखण्ड में आई प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश के प्रभावित जनपदों में "आपदा ग्रस्त क्षेत्र पर्यटन आवासीय अनुदान योजना" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में दिनांक 16 एवं 17 जून, 2013 को हुई अत्यधिक वर्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत स्थानीय व्यक्तियों को राहत प्रदान करने एवं पर्यटकों को साफ-सुथरी आवासीय सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से **"आपदा ग्रस्त क्षेत्र पर्यटन आवासीय अनुदान योजना"** की निम्नलिखित **विवरणानुसार** श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. योजना आपदा ग्रस्त जनपद रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ, एवं बागेश्वर के प्रभावित क्षेत्रों हेतु स्वीकृत की जा रही है। जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी।
2. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त प्रस्तर-1 में वर्णित आपदा ग्रस्त क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो :-
   (i) उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई/मूल निवासी हो तथा जिस व्यक्ति का आपदा के कारण व्यवसाय/व्यवसायिक परिसम्पत्ति आंशिक अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हुई हो।

   (ii) आवेदक भू-स्वामी हो अथवा भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बन्धक स्वरूप स्वीकार्य होगी। पट्टे की भूमि पर भी योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि, ऋण अदायगी की अवधि से अधिक हो।
3. योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य हेतु निम्नलिखित मानक होंगे :-
   (i) योजना हेतु कम से कम दो कक्षों तथा शौचालय का निर्माण आवश्यक होगा।

...2

(ii) पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य करना होगा।

(iii) इस योजना अन्तर्गत निर्मित पर्यटन सम्पत्ति के स्वामी को पर्यटन विकास परिषद द्वारा मानक प्रमाण पत्र (Standard Compliance Certification) प्राप्त करना होगा।

(iv) परिसम्पत्ति का व्यवसायिक संचालन पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों तथा प्रकिया व मार्ग–दर्शक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् चयन समिति गठित की जाती है :–

(i)	जिलाधिकारी–	अध्यक्ष
(ii)	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(iii)	जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक	सदस्य
(iv)	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	सदस्य
(v)	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	सदस्य/सचिव

5. योजना के अन्तर्गत आवासीय इकाई के निर्माण हेतु वित्त पोषण बैंक द्वारा ऋण प्राप्त कर ही किया जा सकेगा तथा इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त बैंक ऋण पर सामान्य दरों पर ब्याज देय होगा।

6. योजना के अन्तर्गत चयनित लाभर्थियों को पर्यटन आवासीय इकाई के निर्माण हेतु पूंजी संकर्म का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 25.00 लाख राज सहायता/अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त योजना अवधि में लाभान्वितों को अतिरिक्त रूप से ब्याज अनुदान का लाभ निम्न प्रकार से प्रदान किया जायेगा :–

(i) बैंक ऋण प्राप्ति से प्रथम दो वर्षों तक आवेदक द्वारा बैंक से लिये गये ऋण पर लाभार्थी को कोई ब्याज नहीं देना होगा। देय ब्याज सरकार द्वारा सीधे बैंक को अदा किया जायेगा।

(ii) दो वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त चार वर्ष की समाप्ति तक आवेदक द्वारा बैंक से लिये गये ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। ब्याज की बची हुई देय राशि सरकार द्वारा सीधे बैंक को अदा की जायेगी।

(iii) चार वर्ष की समाप्ति के उपरान्त आवेदक को बैंक की सामान्य दरों पर ब्याज स्वयं देना होगा

...3

cs

(iv) प्रथम दो वर्षों में बैंक के सम्पूर्ण ब्याज एवं दो से चार वर्ष की समाप्ति तक ब्याज की दरों पर 4 प्रतिशत कम करते हुये शेष ब्याज की धनराशि का भुगतान पर्यटन विभाग द्वारा ''ब्याज अनुदान'' के रूप में बैंक के पक्ष में किया जायेगा।

7. इस योजना के अन्तर्गत राज सहायता/अनुदान तथा ब्याज अनुदान पर होने वाले व्यय के भुगतान हेतु पृथक से बजट प्राविधान कराया जायेगा। जिसके लिए उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या— 868/XXVII(2)/2014, दिनांक 27 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या— /VI/2014—04(07)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, न्यू कैन्ट रोड, देहरादून।
6. निदेशक, आपदा प्रबन्धन विभाग, देहरादून।
7. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।